भामाशाह पशु बीमा योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 में प्रदेश के समस्त जिलों में किया जावेगा।
2. भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, जयपुर मण्डलीय कार्यालय–V पालेचा मैंशन, स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जयपुर, प्रदेश के जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर संभागों के समस्त जिलों तथा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जीवन निधि (द्वितीय मंजील), अम्बेडकर सर्किल, कोटा, भरतपुर, जोधपुर एवं बीकानेर संभागों के समस्त जिलों में पशुओं के बीमा किये जाने के लिये अधिकृत होगी।
3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, जयपुर निम्नानुसार प्रीमियम दरों पर पशुओं का बीमा किये जाने हेतु अधिकृत की गयी है :–

संभाग का नाम	विवरण	प्रीमियम दर (% में) स्थायी पूर्ण विकलांगता की शर्त सहित		प्रीमियम दर (% में) स्थायी पूर्ण विकलांगता की शर्त के बिना	
		एक वर्ष के बीमा हेतु	तीन वर्ष के बीमा हेतु	एक वर्ष के बीमा हेतु	तीन वर्ष के बीमा हेतु
जयपुर	दुधारू पशु (गाय एवं भैंस)	2.90	7.40	2.48	6.99
	भार ढोने वाले पशु (ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर साण्ड/पाड़ा)	3.40	8.70	3.20	8.29
	अन्य पशु (भेड़, बकरी, सूअर)	4.00	10.50	3.75	9.56
अजमेर	दुधारू पशु (गाय एवं भैंस)	2.90	7.40	2.58	7.00
	भार ढोने वाले पशु (ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर साण्ड/पाड़ा)	3.40	8.70	3.25	8.29
	अन्य पशु (भेड़, बकरी, सूअर)	4.00	10.50	3.75	9.56
उदयपुर	दुधारू पशु (गाय एवं भैंस)	2.90	7.50	2.75	7.00
	भार ढोने वाले पशु (ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर साण्ड/पाड़ा)	3.40	8.70	3.25	8.29
	अन्य पशु (भेड़, बकरी, सूअर)	4.00	10.50	3.75	9.56

4. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, जयपुर निम्नानुसार प्रीमियम दरों पर पशुओं का बीमा किये जाने हेतु अधिकृत की गयी है :–

संभाग का नाम	विवरण	प्रीमियम दर (% में) स्थायी पूर्ण विकलांगता की शर्त के बिना	
		एक वर्ष के बीमा हेतु	तीन वर्ष के बीमा हेतु
कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं जोधपुर	दुधारू पशु (गाय एवं भैंस)	2.75	7.01
	भार ढोने वाले पशु (ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर साण्ड/पाड़ा)	3.25	8.29
	अन्य पशु (भेड़, बकरी, सूअर)	3.75	9.56

5. बीमा प्रीमियम राशि पर एस.सी./एस.टी./बी.पी.एल. श्रेणी के पशुपालकों को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा (भेड़ बीमा पर अनुदान की दर क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत देय है)। प्रीमियम की शेष राशि पशुपालक द्वारा वहन की जावेगी। बीमा कम्पनी द्वारा तीन माह में की जाने वाली अनुमानित प्रगति के आधार पर बीमा कम्पनी को अनुदान राशि का अग्रिम भुगतान किया

जावेगा जिसका समायोजन उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं की गयी प्रगति के आधार पर किया जावेगा।

6. इस योजनान्तर्गत उन ही पशुओं का बीमा किया जावेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नहीं किया हुआ हो।
7. योजनान्तर्गत देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा–गाय एवं भैंस, भार ढोने वाले पशु यथा– ऊँट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा एवं अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़, सूअर, इत्यादि का बीमा अनुदानित प्रीमियम दरों पर किया जावेगा।
8. योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम पाँच कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम दरों पर किया जावेगा। परिवार का आधार Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. 2005 में परिभाषित अनुसार होगा।
9. भेड़, बकरी, सूअर, की एक कैटल यूनिट में 10 पशु मानते हुए एक परिवार के कुल 50 पशुओं का बीमा किया जा सकता है अथवा पाँच बड़े पशुओं (गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा) का बीमा अनुदानित दरों पर किया जावेगा।
10. पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा। गाय की न्यूनतम कीमत 3,000/– रूपये प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन एवं भैंस की न्यूनतम कीमत 4,000/– रूपये प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन की दर से निर्धारित की जावेगी तथा अनुदानित बीमा के लिए प्रीमियम की गणना हेतु पशु की अधिकतम कीमत निम्नानुसार होगी :–

दुधारू गाय	40,000/–
दुधारू भैंस	50,000/–
अन्य पशु (10 भेड़/10 बकरी/10 सूअर)	50,000/–
भार ढ़ोने वाले पशु (ऊँट/धोड़ा/गधा/साण्ड़/पाड़ा)	50,000/–

11. बीमा एक साल अथवा तीन साल की अवधि के लिए किया जावेगा। पशुपालकों को तीन साल की बीमा अवधि का बीमा करवाये जाने के लिए जागरूक किया जावेगा।
12. पशुपालक को अपने पशुओं का बीमा करवाने हेतु नजदीकी पशुचिकित्सालय में सम्पर्क कर प्रस्ताव पत्र व बीमा स्वीकृति पत्र भरना होगा तथा अपने हिस्से की प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि/अभिकर्ता को जमा करानी होगी। बीमित पशु की पहचान हेतु पशु के टैग लगाया जाना (12 डिजिट का टेग नम्बर, गाय एवं भैंस के लिए टेग नम्बर की सीरीज आरएलडीबी/एन.डी.डी.बी. द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी) एवं पशु का टैग सहित फोटो लिया जाना आवश्यक होगा। पशुओं के टैग लगाने एवं पशुपालक का पशु के साथ फोटो खीचने का कार्य बीमा कम्पनी द्वारा करवाया जावेगा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र राजकीय पशु चिकित्सालय अथवा दुग्ध उत्पादक संघ में कार्यरत पशु चिकित्सक जो कि राजस्थान पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो द्वारा जारी किया जावेगा। पशुओं के टैग लगाने एवं पशुपालक का पशु के साथ फोटो खींचने का व्यय बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
13. पशुपालक द्वारा पशु का बीमा करवाये जाने हेतु प्रस्ताव पत्र व बीमा स्वीकृति पत्र भरने, पशु के टैग लगाने तथा अपने हिस्से की प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि/अभिकर्ता को जमा कराये जाने पर बीमा कम्पनी द्वारा बीमा प्रमाण–पत्र/बीमा पॉलिसी

जारी की जावेगी। बीमा कम्पनी द्वारा योजनान्तर्गत अभिकर्ताओं से कार्य कराये जाने की स्थिति में अभिकर्ताओं को देय कमिशन बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।

14. पशुपालक द्वारा पशु का बीमा करवाये जाने हेतु प्रस्ताव पत्र व बीमा स्वीकृति पत्र भरने, पशु के टैग लगवाने तथा अपने हिस्से की प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी अथवा कम्पनी के प्रतिनिधि/अभिकर्ता को जमा कराये जाने के दिनांक एवं समय से ही पशु की बीमा अवधि प्रारम्भ मानी जावेगी।
15. योजनान्तर्गत उन्हीं पशुपालकों के पशुओं का बीमा किया जावेगा जिनके पास भामाशाह कार्ड उपलब्ध है अथवा भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण करवाया हुआ है। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करते समय इसकी छाया प्रति भी ली जानी आवश्यक होगी।
16. पशुपालक को पशुओं का बीमा करवाने हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे :–

    1. आवेदन पत्र 2. पशु का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र 3. पशुपालक का पशु के साथ (कान में लगे टैग सहित) फोटो 4. भामाशाह कार्ड की प्रति 5. बी.पी.एल. कार्ड/एस.सी./एस.टी. से संबंधित दस्तावेज की प्रति 6. बैंक का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड 7. आधार कार्ड की प्रति (यदि हो) 8. अपने हिस्से की प्रीमियम राशि।
17. टैग गिरने/खो जाने की स्थिति में पशुपालक द्वारा बीमा कम्पनी को टेग खोने की सूचना टैग गिरने/खो जाने के 48 घंटे के अन्दर अनिवार्य रूप से ई–मेल/एस.एम.एस./लिखित देनी होगी। बीमा कम्पनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर रिटैगिंग करवायी जानी अनिवार्य होगी। टैग एवं फोटो की राशि का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
18. बीमित पशु की मुत्यु हो जाने की दशा में बीमा कम्पनी के अधिकृत कार्यालय/प्रतिनिधि एवं संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग अथवा प्रतिनिधि को मोबाईल/दूरभाष एवं ई–मेल/मोबाईल पर एस.एम.एस. अथवा व्यक्तिशः पशु की मृत्यु होने पर तत्काल (अधिकतम छः घंटे के भीतर) सूचित करना होगा। पशु की रात्रि में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कम्पनी को दूसरे दिन प्रातः तक सूचित किया जाना आवश्यक होगा। बीमा कम्पनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर सामान्यतः छः घंटे की अवधि में मृत पशु का अन्वेषण (Investigation) करवाये जाने हेतु अन्वेषक (Investigator) नियुक्त किया जावेगा। अन्वेषक की उपस्थिति में मृत पशु का अन्वेषण (Investigation) करवाना एवं मृत पशु का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक द्वारा करवाना आवश्यक होगा। बीमा कम्पनी द्वारा छः घंटे की अवधि में अंवेक्षक नियुक्त नहीं करने की स्थिति में मृत पशु का पोस्टमार्टम नजदीकी पशु चिकित्सक अथवा विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिलें के संयुक्त निदेशक द्वारा नामित पशुचिकित्सक से करवाना होगा। मृत पशु की पशुपालक के साथ फोटो ली जानी आवश्यक होगी जिसमें पशु के कान में लगा टेग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। पशु की मृत्यु होने पर बीमा राशि का दावा किये जाने हेतु पशुपालक द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाने है :–

    1. बीमा कम्पनी को मोबाईल/दूरभाष/ई–मेल/मोबाईल पर एस.एम.एस. अथवा व्यक्तिशः सूचित करना।
    2. बीमा प्रमाण–पत्र/बीमा पॉलिसी की मूल प्रति बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराना।
    3. क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराना।

4. पशु का मृत्यु प्रमाण–पत्र (पोस्टमार्टम रिपोर्ट), मृत पशु की पशुपालक के साथ फोटो जिसमें पशु के कान में लगा टेग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो एवं टैग बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराना होगा।

26. पशु की मृत्यु निम्न कारणों से होने पर क्लेम देय होगा :–
    1. दुर्घटना (आग, बिजली, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, चक्रवात तूफान, अकाल सहित)।
    2. बीमा अवधि के दौरान होने वाली बीमारी/रोग से मृत्यु।
    3. शल्यक्रिया (दुधारू पशु एवं भार ढ़ोने वाले पशु)।
    4. दंगा और फसाद (दुधारू पशु एवं भार ढ़ोने वाले पशु)।
27. यदि पशुपालक द्वारा पशु का बीमा पशु की स्थाई पूर्ण विकलांगता होने पर देय क्लेम की शर्तों हेतु निर्धारित की गयी दरों पर करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में यदि पशु की मृत्यु नहीं हो एवं पशु में स्थाई पूर्ण विकलांगता हो गयी हो तो बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालक को पशु की बीमित राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। पशु में स्थाई पूर्ण विकलांगता के संबंध में प्रमाण–पत्र नजदीकी पशु चिकित्सक द्वारा दिया जावेगा।
28. पशु की मृत्यु निम्न कारणों से होने पर क्लेम देय नहीं होगा :–
    1. दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर की गयी उपेक्षा या पहुँचाइ गयी चोट, ज्यादा माल लदान, गैर पेशवर इलाज, पॉलिसी में वर्णित उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग के कारण हुई मृत्यु।
    2. पशु का जान बूझकर किया गया वध (उन परिस्थिति को छोड़ कर जब उक्त वध कष्टपीड़ित जानवार का पीड़ा मुक्ति के लिये योग्य चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया हो या विधि अनुसार प्रतिस्थापित अधिकारी की आज्ञानुसार किया गया हो)।
    3. बीमा से पूर्व विद्यमान रोग अथवा पॉलिसी प्रारम्भ होने के 15 दिवस में रोग के कारण मृत्यु।
    4. बीमित पशु की चोरी या गुप्त बिक्री।
    5. आकाश या समुद्री मार्ग से परिवहन।
    6. पशु की युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मनों की आक्रमक कार्यवाही (युद्ध की घोषणा हुई या नहीं हुई हो) गृह युद्ध, विद्रोह, बगावत, सेनिक अशान्ति या सत्ता अधिग्रहण के कारण हुई मृत्यु।
    7. किसी प्रकार की परिमाणगत हानि या कानूनी देयता।
    8. अणु अस्त्र–सामग्री जनित हानि।
    9. पशु की मृत्यु के समय कान में टेग नहीं होने पर दावा देय नहीं होगा। किन्तु यदि बीमित पशु का टैग गिरने/खो जाने की स्थिति में पशुपालक द्वारा बीमा कम्पनी को टेग खोने की सूचना टैग गिरने/खो जाने के 48 घंटे के अन्दर दे दी गयी है किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा रिटेगिंग नहीं करवायी गयी है और पशु की मृत्यु हो गयी है तो ऐसी स्थिति में टेग नहीं होने पर भी क्लेम देय होगा। पशुपालक द्वारा टेग खोने/गिरने की सूचना टैग गिरने/खो जाने के 48 घंटे के अन्दर नहीं दी गयी है और पशु की मृत्यु हो गयी है तो ऐसी स्थिति में टेग नहीं होने पर बीमा कम्पनी द्वारा दावा देय नहीं होगा। टेग खोने/गिरने की सूचना पशुपालक द्वारा निर्धारित अवधि में बीमा कम्पनी को दे दिये जाने तथा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में टेगिंग किये

जाने से पूर्व यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशु की पहचान का प्रमाणिकरण होने के पश्चात् ही बीमा कम्पनी द्वारा दावा देय होगा।

29. बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालक के समस्त डोक्यूमेन्ट जमा कराने के उपरान्त 15 दिन में पशुपालकों को क्लेम का भुगतान उसके खाते में सीधे ही RTGS द्वारा किया जावेगा। पशुपालक को समस्त डोक्यूमेन्ट जमा कराने के उपरान्त 15 दिन में क्लेम नहीं दिये जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत कम्पाउन्ड ब्याज की दर से पशुपालक को भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
30. पशुपालक द्वारा पशु की मृत्यु होने पर सूचित नहीं किये जाने, मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करवाये जाने एवं बीमा कम्पनी के अन्वेषक (Investigator) को पशु का भौतिक सत्यापन करने से मना करने तथा टैग से छेड़–छाड़ करने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम देय नहीं होगा।
31. पशु की मृत्यु होने की स्थिति में बीमित रकम का पूरा भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि क्लेम में समय लगता है तो कम्पनी द्वारा पशुपालक को सन्तुष्ट करना आवश्यक होगा।
32. बीमा कार्य के उपयोग में ली जाने वाली एवं बीमा दावा संबंधित स्टेशनरी का मुद्रण बीमा कम्पनी द्वारा करवाकर जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध करवानी होगी।
33. बीमा कम्पनी अपनी कम्पनी के ईयरटेग एवं आवश्यकतानुसार एप्लीकेटर जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध करायेगें तथा इश्यू/उपयोग किये गये टेग का रिकार्ड रखेंगे।
34. पोस्टमार्टम प्रमाण–पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र राजकीय पशु चिकित्सालय अथवा दुग्ध उत्पादक संघ में कार्यरत पशु चिकित्सक जो कि राजस्थान पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो द्वारा ही दिया हुआ मान्य होगा। पशुचिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के एवज में राशि रूपये 50/– प्रति स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की स्थिति में राशि रूपये 125/– प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र का भुगतान पशुचिकित्सक को आरएलडीबी द्वारा किया जावेगा।
35. बीमा कम्पनी को आरएलडीबी द्वारा उपलब्ध करवाई गई अग्रिम अनुदान राशि का बीमा कम्पनी द्वारा पूर्ण विवरण एवं लेखा–जोखा पशुपालकों की श्रेणी एवं लिंग अनुसार पृथक–पृथक रखा जाना आवश्यक होगा तथा वास्तविक उपयोग की गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड कार्यालय को दिया जाना आवश्यक होगा। अनुदान राशि हेतु अग्रिम किस्त की मांग पूर्व में आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रगति के आधार पर दी जावेगी।
36. Planning Commission के निर्देशों अनुरूप योजनान्तर्गत न्यूनतम 16.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जावेगा।
37. पशु बीमा के संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र में पशु की किस्म, नस्ल, पहचान चिन्ह (प्राकृतिक, जन्मजात निशान व ईयर टैग) एवं पशु की कीमत का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही पशु चिकित्सक का नाम एवं राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में पंजीयन क्रमांक भी लिखा जाना अनिवार्य होगा।

38. पशु बीमा हेतु जारी किया गया पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किये जाने के 15 दिवस की अवधि तक ही बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जावेगा।
39. पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र राजकीय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में अथवा संबंधित जिला संयुक्त निदेशक द्वारा विशेष परिस्थितियों में उस क्षेत्र के लिए अधिकृत किये गये पशु चिकित्सक के द्वारा ही जारी किये जावेंगे।
40. बीमा राशि जिसका प्रीमियम संयुक्त रूप से आरएलडीबी एवं पशुपालक द्वारा दिया गया है, क्लेम की पूर्ण बीमित राशि (Agreed Value Insured) बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालक को दिया जाना आवश्यक होगा।
41. पशु चिकित्सक द्वारा बीमा हेतु दिये जाने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र में अनियमितता के लिए पशु चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा, जिसके लिए पशुपालन विभाग को अनुशानात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की जायेगी।
42. पशु की मृत्यु की स्थिति में सूचना हेतु प्रत्येक जिले के बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व दूरभाष नम्बर की सूची बीमा कम्पनी संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग एवं आरएलडीबी को उपलब्ध करायेगी ताकि बीमित पशु की मृत्यु की सूचना समय पर बीमा कम्पनी को दी जा सके।
43. बीमा पॉलिसी के अवधि समाप्त होने से पूर्व पशु का बेचान राज्य में किसी अन्य पशुपालक को किये जाने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालक के लिखित प्रार्थना पत्र पर नये पशुपालक को बीमा पॉलिसी का स्थानान्तरण निम्न शर्तों पर किया जाना आवश्यक होगाः–
    1) बीमा कम्पनी को विक्रेता एवं क्रेता के मध्य सम्पादित विक्रय पत्र उपलब्ध करवाया जावेगा।
    2) क्रेता द्वारा 50 रूपये प्रति पशु की दर से ट्रांसफर शुल्क बीमा कम्पनी को जमा करवाया जावेगा।
    3) 25 किलोमीटर की परधि पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। 25 कि.मी. से अधिक होने पर बीमित राशि का 1 प्रतिशत प्रीमियम पशुपालक द्वारा देय होगा।
    4) पशु का अधिक दूरी तक परिवहन रोड़ एवं रेल द्वारा किया जावेगा। पैदल नहीं किया जावेगा।
    5) बिक्री के अतिरिक्त पशु के किसी अन्य कारण से किये गये परिवहन पर क्लेम देय नहीं होगा। यद्यपि प्रदेश में भेड़/बकरी एवं ऊँट निष्क्रमण पर होने के कारण प्रदेश की सीमा में बीमित भेड़ की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम देय होगा यदि पशुपालक द्वारा भेड़, बकरी, ऊँट के 80 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भ्रमण करने की स्थिति में बीमा राशि का 0.85 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम बीमा करवाते समय दी गयी हो। बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी में इस संबंध में भेड़, बकरी, ऊँट के निष्क्रमण पर होने की शर्त जोड़ी जावेगी।

44. अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशुचिकित्सालय/जिला कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग अथवा यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी/नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी से सम्पर्क किया जा सकता है।

15/05/2017
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज. पशुधन विकास बोर्ड
राज., जयपुर